

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/18/2025

रजू दिनांक: 05.02.2025

रजि0 न0 2025/25

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री प्रहलाद पुत्र श्री कन्हैयालाल गुप्ता, निवासी
प्लॉट सं. 12/45 व 95, रिद्धि-सिद्धि भवन,
दीवानजी का चौक, मुंशी बाजार, वार्ड नं. 12,
जिला अलवर (राजस्थान)।

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त
जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर
(राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 11.02.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 27.01.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 11.02.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/133 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से RTI Online Portal पर प्रस्तुत सूचना आवेदन क्रमांक 293015809038850 दिनांक 27.01.2025 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा किए गये विनिश्चय पत्र सं0 5396057836 दिनांक 30.01.2025 के विरुद्ध आक्षेप व्यक्त किया है। जिसके संबंध में अनुरोध है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन क्रमांक 293015809038850 दिनांक 27.01.2025 के माध्यम वांछित सूचना में विशिष्टियों का अभाव है, किसी विशिष्टीकृत आदेश/दस्तावेज की प्रति नहीं चाही जाकर विविध प्रश्न कर, संसाधन/नियमों के आलोक में व खोजबीज कर सृजनात्मक सूचना चाही जा रही है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ), 6(1)बी, धारा 7(9), 8(1)जे एवं भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 10.07.2008 मय राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 व परिपत्र दिनांक 16.12.2011 के आलोक में देय नहीं है, तदनुसार ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं. 5396057836 दिनांक 30.01.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में RTI Online Portal Letter No. 5396057836 Date 30.01.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जा चुका है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/134 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांत अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)